POLICY DOCUMENTS ON WELFARE MEASURES

DETAILS UNDER A & B ATTACHMENTS

A - NPS

NPS APPROVAL FROM EC

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कार्यवाही–विवरण

कार्य परिषद् की 59 वीं बैठक
दिनांक 26/02/2017, दिन रविवार
समय : 12:00 बजे पूर्वान्ह
स्थान – मुख्यालय, बिलासपुर

विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की 59 वीं बैठक का कार्यवाही–विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्य परिषद् की 59 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 26/02/2017, दिन रविवार पूर्वान्ह 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय के प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह — अध्यक्ष
   कुलपति
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
   बिलासपुर

2. प्रो. देबाल कुमार सिंहरॉय — सदस्य
   आचार्य
   समाजशास्त्र अध्ययन विभाग
   इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
   नई दिल्ली
   (कुलपति, इग्नू के द्वारा मनोनीत)

3. डॉ. बी.एल. गोयल — सदस्य
   अतिरिक्त संचालक
   उच्च शिक्षा कार्यालय
   बिलासपुर (छ.ग.)
   (सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा मनोनीत)

4. श्री एस. एल. नायक — सदस्य
   संयुक्त सचिव
   छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
   नया रायपुर (छ.ग.)
   (सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा नामांकित)

5. डॉ. एस. के. जाधव — सदस्य
   प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
   रायपुर (छ.ग.)
   (माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

6. डॉ. एस. आर. पटेल — सदस्य
   अधिष्ठाता
   ठाकुर छेदीलाल बेरिस्टर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र
   बिलासपुर (छ.ग.)
   (माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

7. डॉ. राजकुमार सचदेव – सचिव
कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर

<u>निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –</u>

1. उपाध्यक्ष – सदस्य
सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.)

2. उपाध्यक्ष – सदस्य
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.)

3. सचिव – सदस्य
छ.ग. शासन
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)

4. श्री एस.के. चक्रवर्ती – सदस्य
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग
रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)

5. श्री ओ. पी. सिंघानिया – सदस्य
62/6, नेहरू नगर, ईस्ट
अग्रसेन मार्ग, भिलाई
जिला–दुर्ग (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

6. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह – सदस्य
सहायक प्राध्यापक
शिक्षा विभाग
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
(कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)

कार्य परिषद् की बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई तथा आधे घंटे के बाद स्थगित बैठक प्रारंभ की गई। बैठक के प्रारंभ में माननीय कुलपति जी के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गये –

प्रस्ताव कं 13 NPS/EPF में कर्मचारी अंशदान की कटौती पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये निर्णय लिया गया कि मासिक मानदेय व प्रोत्साहन की राशि जिलाध्यक्ष दर से सिद्धांतः कम नहीं होनी चाहिये। उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इसे फरवरी (मार्च, 2017 में देय हो) से लागू करने का निर्णय हुआ।

प्रस्ताव कं 14 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्निति संबंधी नियम का अनुमोदन।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखे गये प्रस्ताव –

प्रस्ताव कं 15 प्रूसति अवकाश की स्वीकृति – डॉ. श्रीमती प्रीति रानी मिश्रा, सहायक प्राध्यापक।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्त की गई।

(राजकुमार सचदेव)
कुलसचिव/सचिव

(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

B - TEBF

TEACHER EMPLOYEE BENEFIT SCHEME (TEBF) RULES

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

शिक्षक कर्मचारी हितैषी योजना

(Teacher, Employee Benefit Scheme)

1. उद्देश्य –

शिक्षक कर्मचारी हितैषी योजना का उपयोग वित्तीय कठिनाई से जूझ रहे शिक्षकों एवं कर्मचारियों को उनके आवेदन के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में उपयोग किया जायेगा।

2. परिभाषा –

2.1 विश्वविद्यालय से तात्पर्य पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर से है;

2.2 कुलपति से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय का कुलपति;

2.3 कुलसचिव से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय का कुलसचिव;

2.4 शिक्षक का तात्पर्य यहां ऐसे शिक्षक से है जो विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में अध्यापन कर रहें शिक्षकों जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षक भी शामिल है तथा परीक्षा कार्य में संलग्न संस्थाओं के शिक्षक जो मूल्यांकनकर्त्ता के रूप में कार्य करेंगे, से है।

2.5 कर्मचारी से तात्पर्य विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों (सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनः सेवारत एवं प्रतिनियक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर) से है, जो शिक्षक कर्मचारी हितैषी योजना में सम्मिलित होवें।

2.6 शिक्षक, कर्मचारी अंशदान से तात्पर्य ऐसे अंशदान से जो किसी व्यक्ति/कर्मियों द्वारा कोष के लिए किया गया हो और इस हेतु परीक्षकों के पारिश्रमिक देयकों से की गयी 3 प्रतिशत कटौती शामिल रहेगी।

2.7 समिति का तात्पर्य इस कोष के संचालन हेतु गठित समिति से है;

2.8 सदस्य से तात्पर्य कोष के संचालन हेतु कुलपति द्वारा नियुक्त सदस्य से है;

2.9 वर्ष का तात्पर्य शैक्षणिक वर्ष जो 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक है;

2.10 परिवार से तात्पर्य है; कर्मचारी की पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो तथा ऐसे कर्मचारी के साथ रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित उसके माता–पिता, धर्मज संतान, जिनमें विधिक रुप से गोद ली गई सन्तान तथा सौतेली सन्तान भी सम्मिलित है।

2.11 गंभीर बीमारी से तात्पर्य जिसे चिकित्सक ने अपने रिपोर्ट में गंभीर बीमारी माना हैं;

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Dr. Prakriti James
Incharge NAAC Criteria-VI
PSSOU, CG Bilaspur

3. शिक्षक, कर्मचारी अंशदान –

3.1 वे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय से परीक्षक के रुप में पारिश्रमिक प्राप्त करते है, उनके पारिश्रमिक देयकों से 3 प्रतिशत की राशि भुगतान करते समय विश्वविद्यालय कार्यालय द्वारा इस कोष के लिए काटी जाएगी।

3.2 उपरोक्त परिभाषित कर्मचारियों जो इस योजना में सम्मिलित हो रहे हो के प्रत्येक माह के वेतन से रु. 50.00 की राशि कोष के लिए कटौती होगी।

4. **कोष संचालन समिति –**

इस कोष के संचालन हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति कुलपति द्वारा गठित की जाएगी :–

1. कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का के दो शिक्षक।
2. कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी।
3. वित्त अधिकारी (सदस्य सचिव)
4. परीक्षा नियंत्रक

यह कि कुलपति इनमें से वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष नामित करेंगे।

5. **समिति का कार्यकाल –**

उक्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षो का होगा।

6. **वित्तीय सहायता योजना एवं समिति के कार्य :–**

समान्य दशा में समिति की बैठक प्रत्येक माह के प्रारंभ में आवश्यकतानुसार आयोजित होगी, जिसमें राशि के उपलब्धता के आधार पर कितनी–कितनी राशि किस–किस मामले में स्वीकृत होगी, उसके लिए नीति निर्धारित करेगी। इस कोष से वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों पर समिति विचार करेगी और वित्तीय सहायता की प्रत्येक मामले में राशि स्वीकृत करेगी। राशि स्वीकृत करते समय समिति प्रत्येक मामले में वसूली हेतु प्रतिमाह की राशि भी निर्धारित करेगी। वसूली हेतु निर्धारित अवधि 15 माह से अधिक नहीं होगी तथा वसूली की कुल राशि प्राप्त वेतन का 50 प्रतिशत से अधिक नही होगी।

7. कोष का संचालन –

किसी एक राष्ट्रीयकृत बैंक में योजना के नाम से खाता खोलकर प्रतिमाह प्राप्त अंशदान माह के 10 तारीख तक अनिवार्यतः जमा किया जायेगा तथा जिसका आहरण स्वीकृति के अनुसार कुलसचिव एवं वित्ताधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जा सकेगा।

8. **बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता –**

1. स्वयं के गंभीर बीमारी पर तथा उनके आश्रितों को ब्याज मुक्त आर्थिक सहायता दी जा सकेगी।
2. स्वयं की सामान्य बीमारी पर 4 प्रतिशत ब्याज पर वित्तीय सहायता दी जा सकेगी।
3. परिवार के सदस्य की मृत्यु पर ब्याज मुक्त आर्थिक सहायता दी जा सकेगी।
4. अन्य आवश्यकताओं (जैसे पुत्र–पुत्री की शिक्षा) हेतु 6 प्रतिशत ब्याज पर आर्थिक सहायता दी जा सकेगी।
5. योजना से जुड़े सदस्य को सामान्यतया तीन बार आर्थिक सहायता उसके आवेदन पर दिया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में तीन से अधिक बार की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये कुलपति सक्षम अधिकारी होंगे तथा ऐसे स्वीकृत आर्थिक सहायता पर ब्याज की दरें नियत से 2 प्रतिशत अधिक होगी।

9 योजना से जुड़े सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में मासिक वेतन से की गई अंशदान कटौती को बिना ब्याज के उसके विधिमान्य वारिस को वापस किया जायेगा। साथ ही सदस्य को दी गई आर्थिक सहायता में से शेष ऋण माफ किया जा सकेगा।

10. इस योजना से जुड़े कर्मचारी के किसी भी समय बाहर (exit) होने पर या उसके सेवानिवृत्ति पर, उसके द्वारा देय कुल अंशदान को उसके आवेदन किये जाने पर बिना ब्याज के वापस किया जायेगा।

11. इस योजना से जुड़े सदस्य की आकस्मिक मृत्यु पर कुलपति जी अधिकतम राशि रु. 25,000/– तक स्वीकृत कर सकते है, जो विधिमान्य वारिस को प्रदान की जा सकेगी।

12. इस कोष के रख–रखाव के लिये वित्ताधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा प्रत्येक वर्ष चाटर्ड एकाउंटेंड द्वारा आडिट किया हुआ प्रतिवेदन कार्यपरिषद् में अवलोकनार्थ रखा जायेगा।

13. इस योजना से जुड़े किसी भी विवाद के लिये अंतिम निर्णय कुलपति का होगा।

––– 000 –––

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Dr. Prakriti James
Incharge NAAC Criteria-VI
PSSOU, CG Bilaspur